Signature Not Verified
Digitally signed by Mahaveer Singh
Date: 2019.12.09 19:26:31 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही नम्बर इनिशियल तक | हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र जरिये वकील अन्तर्गत धारा 340 ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ 0.9 ATI CPC तहत पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जावें। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये सम्मन की जावें। मिसल दिनांक 11/9/19 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
बाप (जि. जोधपुर)

11/9/19 आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम. साहब दौरें / अवकाश पर हैं। पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 4/10/19 को पेश हो।

4/10/19 आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम. साहब दौरें / अवकाश पर हैं अतः अग्रिम तारीख
पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली तारीख 5/11/19 को पेश हो।

25/11/19 पत्रावली पेश है। वकील प्रार्थी आ। मूल पत्रावली तलब होकर पढ़ी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी प्रार्थना पत्र पर बहस लम्बी की। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी ने धोखाधड़ी से कूट रचना कर अभिभाषक न्यायालय अपील कार-2018 में दिनांक 28-6-1991 को अपील हारी अदद दरखी के खारिज किया गया था कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत बेशक लोक अदालत अभिभाषक में वादी अथवा वादी वकील का हाजिर होना आवश्यक नहीं है अतः न्यायहित में प्रार्थी का मुकदमा पुनर्जीवित कर पुराने नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किया गया। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। मुकदमा की पत्रावली में आदेश दिनांक 28 अगस्त का अवलोकन किया गया। खारिज मुकदमा का अवलोकन पाया गया कि प्रार्थी का मुकदमा 28-6-18 को अदद दरखी के दिनांक 28-6-18 को खारिज किया है न्याय हित में मुकदमा के पुनर्जीवित कर नम्बर पर लिये जाने के आदेश जारी किए जाने न्यायोचित है अतः प्रार्थी का प्रार्थना